न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–45/अ–59/2017–18/2240 बैतूल दिनांक 5/3 /2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत साबड़ी जनपद पंचायत मुलताई द्वारा, ग्राम डोंगरपुर में आबादी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण हितग्राहियो को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने में कठिनाई होने के कारण, ग्राम डोंगरपुर में आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है ।

2– ग्राम पंचायत साबड़ी के उक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार मुलताई द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः–

(1)– ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार ग्राम में आबादी घोषित किए जाने के संबंध में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि, मौजा डोंगरपुर प.ह.नं. 01 रा. नि. म. मुलताई स्थित खसरा नंबर 288 रकबा 0.089 हेक्टेयर मद चरनोई को आबादी घोषित किया जाना उचित होगा।

(2)– पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा डोंगरपुर स्थित खसरा नंबर 288 रकबा 0.089 हेक्टेयर मद चरनोई की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(3)– दिनांक 2–10–2017 को आयोजित ग्राम सभा मे मौजा डोंगरपुर तहसील मुलताई में शासकीय भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)– राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017–18 के अनुसार मौजा डोंगरपुर रा. नि. म. मुलताई तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 288 रकबा 0.089 हेक्टेयर, भूमि चरनोई मद मे दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)– प्रकरण में अंकित तहसीलदार मुलताई के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा डोंगरपुर का मकबूजा रकबा 390.669 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 19.6964 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में चरनोई का न्यूनतम रकबा 7.813 हेक्टेयर उपलब्ध होना अनिवार्य है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से अधिक है। तहसीलदार मुलताई द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार चरनोई मद की 0.089 हेक्टेयर भूमि का मद परिवर्तन किए जाने से ग्राम का चरनोई का न्यूनतम रक्षित रकबा कम नहीं होगा।

(5)– उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार मुलताई /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा मौजा डोंगरपुर रा. नि. मं. मुलताई तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 288 रकबा 0.089 हेक्टेयर मद चरनोई को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा– (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक–1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा

समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार मुलताई /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा डोंगरपुर प. ह. नं. 01रा. नि. मं. मुलताई तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 288 रकबा 0.089 हेक्टेयर, मद चरनोई को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:—45/अ—59/2017—18/2240 बैतूल दिनांक 5/3/2018

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।

2— तहसीलदार मुलताई ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत साबड़ी जनपद पंचायत मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.